

DEATH - CUM RETIREMENT RULES

रजिस्ट्री सं. डा. (डा. एन.)-72

Death - Cum - Retirement Rules



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487]
No. 487]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 1983/पौष 5, 1905
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 1983/PAUSA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 1983

अधिमूचना

सर० का० नि० 919 (अ) : केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 (1974 का सं० 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवा निवृत्ति) उपदान नियम, 1983 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2 परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "उपलब्धियां" में वेतन (जिसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा यथा अवधारित मंहवाई वेतन भी है) विशेष वेतन, अवकाश वेतन, जिसे बोर्ड का कर्मचारी अपनी सेवा छोड़ने के ठीक पहले या अपनी मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था, अभिप्रेत है और वे प्रतिमाह 2,500/- रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे।

(ख) "कटुम्भ" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :-

- (i) किसी पुरुष सरकारी सेवक की दशा में पत्नी या पत्नियों (जिनके अन्तर्गत न्यायिक रूप से पृथक की गई पत्नी या पत्नियों भी हैं)
- (ii) किसी महिला सरकारी सेवक की दशा में पति, (जिनके अन्तर्गत न्यायिक रूप से पृथक किया गया पति भी है),
- (iii) पुत्र जिनके अन्तर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक पुत्र भी हैं,
- (iv) अविवाहित पुत्रियां जिनके अन्तर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियां भी हैं;
- (v) विधवा पुत्रियां जिनके अन्तर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियां भी हैं;
- (vi) पिता, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी न्दीयविधि दत्तक अनुभाव करती है, दत्तक
- (vii) माता माता-पिता भी है।
- (viii) अठारह वर्ष से कम आयु के भाई जिनके अन्तर्गत सौतेले भाई भी हैं
- (ix) अविवाहित बहनें और ब्रिधवा बहनें जिनके अन्तर्गत सौतेली बहनें भी हैं;
- (x) विवाहित पुत्रियां; और
- (xi) किसी पूर्व-भूत पुत्र के बालक;

(ग) "अनियमित कर्मचारी" से कोई ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड के नियमित स्थापन में नियोजित नहीं है, अर्थात् ऐसे काम के लिए नियोजित किया जाता है जो आवश्यक रूप से पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है या जिसे स्थायी काम में अस्थायी वृद्धि के संबंध में 12 मास से अधिक की अवधि के लिए नियोजित किया जाता, अभिप्रेत है;

(घ) "अर्हक सेवा" से 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के पश्चात् बोर्ड में की गई निरंतर सेवा जिसके अन्तर्गत इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अर्थात् बोर्ड में नियुक्ति की तारीख से शिक्षु या प्रशिक्षु और अवकाश वेतन के बिना असाधारण अवकाश के रूप में की गई सेवा की अवधि और विशेष शर्तों के रूप में मन्योजित निबंधन की अवधि को छोड़कर की गई निरंतर सेवा अभिप्रेत है

टिप्पण: असाधारण अवकाश की दशा में ऐसे अवकाश की मंजूरी के समय सचिव या अध्यक्ष उक्त अवकाश की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना करने की अनुमति दे सकेंगे यदि ऐसा अवकाश किसी कर्मचारी को—

- (i) चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर या,
- (ii) सिविल उपद्रव के कारण झूठी पर वापस लौटने या पुनः वापस लौटने की उमकी असमर्थता के कारण, मंजूर किया जाता है।

(इ०) "अधिवाषिकता" से 58/65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बोर्ड के कर्मचारी की सेवा से निवृत्ति अभिप्रेत है।

3. विस्तार उपदान बोर्ड के पूर्ण कालिक नियमित कर्मचारी को दिया जाएगा किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आएंगे:—

- (i) आकस्मिक और अनियमित कर्मचारी,
- (ii) प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर नियोजित सरकारी सेवक और अन्य।
- (iii) संविदा निबंधनों पर कर्मचारी,
- (iv) शिक्षु और प्रशिक्षु।
- (v) पुननियोजित व्यक्ति,
- (vi) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) द्वारा शासित कर्मचारी:

परन्तु इन नियमों के अधीन उपदान के संदाय के ऐसे निबंधन जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39) के अधीन दिए गए निबंधनों से अधिक लाभदायक हैं, ऐसे कर्मचारियों को लागू होंगे।

4. उपदान की मंजूरी की शर्तें—नियम 3 में वर्णित उपबंधनों के अधीन रहते हुए उपदान बोर्ड के पूर्ण कालिक कर्मचारियों को, अच्छी दक्षता-पूर्ण और निष्ठावान सेवा के लिए दिया जाएगा और निम्नलिखित परिस्थितियों में देय होगा:—

- (क) पद के उत्पादन पर उन्मोहन,
- (ख) शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण स्थायी निःशक्तता
- (ग) सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर।
- (घ) अधिवाषिकता
- (ङ) पर्यवेक्षक कर्मचारियों की दशा में बोर्ड में 5 वर्ष की अर्हक सेवा करने के पश्चात् बोर्ड की सेवा से अनुपेक्ष की तारीख को स्थापपत्र (1 फरवरी, 1980 को या उसके पश्चात्)

(च) (i) उपदान ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगा जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पूर्व सेवा से त्यागपत्र दे देता है,

या जिसकी सेवाएं कदाचार, दिवालापन या अकार्यकुशलता के कारण समाप्त हो जाती हैं।

(ii) मृत्यु की दशा में के सिवाय उपदान केवल पांच वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् अनुज्ञेय होगा।

5. उपदान की रकम (1) उपदान उपलब्धियों के 16.1/2 गुणा या 36,000 रुपये इन दोनों में से जो भी कम हो, के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक पूरी की गई 6 मास की सेवा की अवधि के लिए उपलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी।

(2) मृत्यु की दशा में उपदान की रकम की संगणना उपनियम (1) में यथा उपबन्धित रूप में या नीचे वर्णित रूप में इन दोनों में से जो भी अधिक हो, की जाएगी:—

- (i) सेवा की पहली वर्ष के दौरान 2 मास की उपलब्धियां
- (ii) एक वर्ष के पश्चात् किन्तु 5 वर्ष की सेवा से पूर्व 6 मास की उपलब्धियां
- (iii) पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् 12 मास की उपलब्धियां

6. उपदान के संदाय के लिए नामनिर्देशन (1) प्रत्येक कर्मचारी इन नियमों से अनुलग्न प्रका में अपने कुटुम्ब के एक या अधिक व्यक्तियों को सेवा में रहते हुए अपनी मृत्यु की दशा में या सेवा छोड़ देने के पश्चात् किन्तु उपदान का संदाय किए जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य को संदेय श्रेयर उपदर्शित करते हुए उपदान अभिप्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने वाला एक नामनिर्देशन करेगा। यदि कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्वाचन या अनियमित व्यक्तियों के किसी निकाय के पक्ष में किया जा सकेगा। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में, जो उसके कुटुम्ब का सदस्य नहीं है, नामनिर्देशन करने के पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो जाता है तो इस प्रकार किया गया नामनिर्देशन, अपने आप समाप्त हो जाएगा और जब तक कि कोई नया नामनिर्देशन नहीं किया जाता है, उपदान इन नियमों के उपबंधनों के अनुसार कुटुम्ब, के उत्तरजीवी सदस्यों को संदायित किया जाएगा।

(2) कोई नामनिर्देशन न किए जाने की दशा में उपदान, मृत्यु पर नीचे उपदर्शित रीति में संदायित किया जा सकेगा:—

(क) यदि कुटुम्ब के एक या अधिक उत्तरजीवी सदस्य हैं जैसा कि नियम 2 के खंड (ख) के उप खंड (i) से (ii) में उपबंधित हैं, तो वह ऐसे सभी सदस्यों को ऐसे सदस्य को छोड़कर जो विधवा पुत्री है, बराबर श्रेयों में संदायित की जाएगी।

(ख) यदि कुटुम्ब के ऐसे कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं हैं, किन्तु एक या अधिक उत्तरजीवी विधवा पुत्री और या कुटुम्ब के अधिक उत्तरजीवी सदस्य हैं जैसा कि नियम 2 के खंड (ख) के उपखंड (v) से (ix) में वर्णित हैं, तो उपदान ऐसे सभी सदस्यों को बराबर श्रेयों में संदायित किया जाएगा।

(3) कर्मचारी उपनियम (i) के अधीन किए गए नामनिर्देशन को किसी भी समय प्रतिसंहृत या रद्द कर सकेगा और एक नया नामनिर्देशन कर सकेगा जो उक्त तारीख से जिसको वह बोर्ड के पास फाइल किया जाता है, प्रभावी होगा।

7. उपदान के लिए आवेदन उपदान की मंजूरी के लिए आवेदन विहित प्ररूप में बोर्ड के अध्यक्ष/सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. साधारण नियम (1) उपदान की रकम, जो मंजूर की जा सकेगी नियम 4 में यथा उपबन्धित सेवा की अवधि द्वारा अवधारित की जाती है

अधे वर्ष के भाग को कर्मचारी को अनुज्ञेय किसी उपदान की संगणना में हिसाब में नहीं लिया जाता है।

(2) रूप में नियत उपदान को निकटतम रूप तक संगणित किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई कर्मचारी जिसका पद के उत्पादन के कारण उत्तमोच्च के लिए चयन किया जाता है, नियम 4 के अधीन उपदान के लिए हकदार है यदि वह बोर्ड में किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करता है। यदि वह कोई अन्य नियुक्त भले ही वह निम्न वेतन पर हो, स्वीकार करता है, तो उसकी पूर्व सेवा की गणना उपदान के लिए की जाएगी।

(9) निलंबन की अवधि (1) आचरण के द्वारे में जांच संवित रहने के दौरान निलंबनाधीन व्यतीत किए गए समय की गणना की जाती है यदि निलंबन के तुरंत बाद सेवा में पुनः बहाली हो जाती है, किन्तु विनिर्दिष्ट शास्ति के रूप में समायोजित निलंबनाधीन व्यतीत किए गए समय की गणना नहीं होती है। किसी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जाएगा, यदि उसे निलंबन की अवधि के पश्चात अवमुक्त कर दिया जाता है।

(2) यदि निलंबनाधीन कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है और निलंबन के अधीन अनुज्ञेय भत्तों के किसी भाग को प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे निलंबन की अवधि की गणना ऐसे प्राधिकारी के जो ऐसे कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल करता है, विनिर्दिष्ट आदेशों के बिना अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी जो पुनः बहाली के तुरंत पश्चात इस प्रश्न को स्पष्ट करेगा।

10. हटाया जाना और पदच्युति (i) वह कर्मचारी जो पदच्युत किया जाता है, हटाया जाता है या अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जाता है किन्तु जो अपील या पुनरीक्षण पर पुनः बहाल कर दिया जाता है, उपदान के प्रयोजन के लिए अपनी पहली सेवा के फायदों का हकदार है।

(2) यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख और पुनः बहाली की तारीख तथा निलंबन यदि कोई है की अवधि के बीच सेवा में व्यवधान की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे उच्च प्राधिकारी के जिसने पुनः बहाली के आदेश पारित किए हैं, विनिर्दिष्ट आदेश के द्वारा कर्तव्य या अवकाश के रूप में नियमित नहीं किया जाता है।

(ii) अवरोध : कर्मचारी की सेवा में अवरोध से निम्नलिखित में को छोड़कर उसकी पहली सेवा का समपहरण हो जाता है,

(1) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी।

(2) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी के जारी रहने के दौरान अप्राधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से नहीं भरा जाता है। यदि उस का पद अधिष्ठायी रूप से भर लिया जाता है तो पहली सेवा समपहृत हो जाती है।

(3) निलंबन जहाँ इसके तुरंत पश्चात पुनः बहाली हो जाती है चाहे वह उसी पद पर या किसी भिन्न पद पर होती है या जहाँ कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है या वह निलंबनाधीन होते हुए निवृत्त हो जाता है।

(4) स्थापन की कमी हो जाने के कारण पद का उत्पादन या नियुक्ति की समाप्ति।

12. अनुपस्थिति का भूतलक्षी रूप से लघुकरण : वह प्राधिकारी जिसने उपदान को मंजूरी दी है वेतन सहित या उसके बिना उन अवकाश के बिना अनुपस्थिति अवधि को भूतलक्षी रूप से असाधारण छुट्टी में कम कर सकेगा।

13. अवरोध और कमियों का माफ करना

(i) ऐसी भर्तों पर जो वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझे, अध्यक्ष कर्मचारी की सेवा में सभी अवरोधों को माफ कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा में 6 मास से अनधिक की कमी को माफ कर सकेगा और उपदान की मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी 3 मास से अनधिक की ऐसी कमी को माफ कर सकेगा।

14. शोध्यों आदि की वसूली करने का बोर्ड का अधिकार:-

बोर्ड को अपने पूर्णतः या भागतः शोध्यों यदि कोई हों, की उपदान से वसूली करने का अधिकार होगा। कर्मचारी की ओर से किसी कार्य या कारण के परिणामस्वरूप बोर्ड को हुई किसी धनीय हानि की वसूली ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम से की जाएगी यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत की गई सेवा या सेवा निवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन भी है, धीर कदाचार या उपेक्षा का दोषी रहा है भले ही कर्मचारी को इसके बारे में सूचना न दी गई हो।

15. कर्मचारी के अधिकार का अन्तर्णीय न होना

इन नियमों के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय फायदों या उन फायदों को जो उसे संदेय हों पात किसी कर्मचारी के अधिकार का समनुदेशित नहीं किया जा सकता है (नियम 6 में यथा उल्लिखित के सिवाय), गिरवी नहीं रखा जा सकता है या विलंबन नहीं किया जा सकता है या अनसंक्रमण नहीं किया जा सकता है।

16. कानूनी कटौती के अधीन उपदान : उपदान का संशय सभी कानूनी कटौतियों के अधीन है।

[फ० सं० 7(10/83 वित्त-2]

आर० वासुदेवन, संयुक्त सचिव

प्रत्येक 1

मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन

जब कर्मचारी का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं,..... क्योंकि मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है इसलिए नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूँ और उसको/उनको नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा तक ऐसा बोर्ड उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार

और नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा तक ऐसा कोई उपदान जो मेरी सेवा निवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय असंकेत रह जाता है, मेरी मृत्यु पर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

नामनिर्देशित/नामनिर्देशितियों का नाम और पता	मूल नामनिर्देशित	कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक की संदेय उपदान की रकम का शेष	अनुकल्पी नामनिर्देशित	प्रत्येक को संदेय उपदान के शेषर की रकम
1.					ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, यदि कोई हो, का नाम, पता, संबंध और आयु जिसकी/जिनकी नामनिर्देशितों की कर्मचारी के पहले मृत्यु हो जाने की दशा में या नामनिर्देशितों की कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात किन्तु उपदान का संदाय प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अधिकार प्रदान होगा।	
2.						
3.						
4.						

टिप्पण: यह नामनिर्देशन पहले तारीख: को मेरे द्वारा किए गए नामनिर्देशन को अधिष्ठित करता है, जो रद्द हो गए हैं।

- (1) कर्मचारी को चाहिए कि वह नीचे खाली स्थान पर अन्तिम प्रविष्टि के सामने रेखा खींच दें, जिससे कि उसके हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात कोई नाम न छोड़ा जा सके।
- (2) जो लागू न होता हो, उसे काट दें।

आज तारीख: 198. स्थान
साक्षियों के हस्ताक्षर: कर्मचारी के हस्ताक्षर:

- 1.
- 2.

*यह स्तम्भ भरा जाना चाहिए जिससे कि उपदान की पूरी रकम आ जाए।

*इस मामले में दक्षित उपदान की रकम/शेषर के अन्तर्गत मूल नामनिर्देशित/नामनिर्देशितियों को संदेय पूर्ण रकम/शेषर आने चाहिए।

(तेल उद्योग विकास बोर्ड सचिवालय द्वारा भरा जाए)

द्वारा नामनिर्देशन

पद नाम

कार्यालय

सचिव/प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

पदाभिधान

तेल उद्योग विकास बोर्ड सचिवालय द्वारा नामनिर्देशन प्रेष्य की प्रति अभिस्वीकार करने के लिए प्रोफ: ना

सेवा में

महोदय

प्रमुख

के नामनिर्देशन

स्थान

तारीख

टिप्पणी

कर्मचारी को यह सलाह दी जाती है कि यह उसके नामनिर्देशितियों के हित में होगा यदि नामनिर्देशन की प्रतियाँ और सम्बद्ध सूचना तथा अभिस्वीकृतियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु की दशा में हितधिकारियों के कर्ज में आ सके।

में उपदान की वास्तव तारीख: के आपके नामनिर्देशन/पहले किए गए तारीख

के हस्ताक्षर करते हुए मुझे यह कहना है कि यह सम्यक रूप से अभिलिखित कर लिया गया है।

सचिव/प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 2

मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन

(3)

जब कर्मचारी का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं..... क्योंकि मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है इसलिए नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूँ और उसको/उनको नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा तक ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार और नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा तक ऐसा कोई उपदान जो मेरी सेवा निवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय असंभल रह जाता है मेरी मृत्यु पर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

मूल नामनिर्देशिनी

अनुकल्पी नामनिर्देशिनी

नामनिर्देशिनी/नामनिर्देशितियों का नाम और पता :	कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक की संदेय उपदान की रकम का शेयर	ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, यदि कोई हो, का नाम, पता, संबंध और आयु जिसकी/जिनको नामनिर्देशिनी की कर्मचारी के पहले मृत्यु हो जाने की दशा में या नामनिर्देशिनी की कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात किन्तु उपदान का संदाय प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अधिकार प्रदान होगा।	प्रत्येक की संदेय उपदान के शेयर की रकम
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					

टिप्पण: यह नामनिर्देशन पहले तारीख.....की मेरे द्वारा किए गए नामनिर्देशन को अधिष्ठित करता है, जो रद्द हो गए हैं।

(1) कर्मचारी को चाहिए कि वह नीचे खाली स्थान पर अन्तिम प्रविष्टि के सामने रखा खींच दें, जिससे कि उसके हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात कोई नाम न छोड़ा जा सके।

(2) जो लागू न होता हो, उसे काट दें।

आज तारीख..... 198

स्थान

साक्षियों के हस्ताक्षर:

कर्मचारी के हस्ताक्षर:

1.

2.

*यह स्तम्भ भरा जाना चाहिए जिससे कि उपदान की पूरी रकम आ जाए।

*इस मामले में दक्षित उपदान की रकम/शेयर के अन्तर्गत मूल नामनिर्देशिनी/नामनिर्देशितियों को संदेय पूर्ण रकम/शेयर आने चाहिए। (तेल उद्योग विकास बोर्ड सचिवालय द्वारा भरा जाए)

..... द्वारा नामनिर्देशन
..... पद नाम
..... कार्यालय

सचिव/प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख :
पदाभिधान

तेल उद्योग विकास बोर्ड सचिवालय द्वारा नामनिर्देशन प्ररूप की प्रति अभिस्वीकार करने के लिए प्रोफार्मा

सेवा में,

सहोदय,

तारीख..... प्ररूप.....में उपदान की वास्तव आपके नामनिर्देशन पहले किए गए तारीख.....को नामनिर्देशन के आपके रद्दकरण के प्राप्त अभिस्वीकार करते हुए उसे यह कहना है कि सम्यक रूप से अभिलिखित कर ली गई है।

स्थान:

सचिव/प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

टिप्पण: कर्मचारी को यह सलाह दी जाती है कि यह उसके नामनिर्देशितियों के हित में होगा यदि नामनिर्देशन की प्रतियां और सम्बद्ध सूचना तथा अभिस्वीकृतियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती हैं जिससे कि उसकी मृत्यु की दशा में हिताधिकारियों के कर्तव्य में आ सके।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 26th December, 1983

NOTIFICATION

G.S.R. 919(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry Development Act, 1947 (No. 47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees" (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires —

(a) "Emoluments" means the pay (including dearness pay as determined by the order of the Central Government issued from time to time), special pay, leave salary, which an employee of the Board was receiving immediately before his quitting service or on the date of his death, and shall be subject to a ceiling of Rs. 2500 per month;

(b) "Family" includes the following:

- (i) wife or wives (including judicially separated wife or wives) in the case of a male Government servant;
- (ii) husband, (including judicially separated husband) in the case of a female Government servant;
- (iii) sons including step sons and adopted sons;
- (iv) unmarried daughter including step daughters and adopted daughters;
- (v) widowed daughters including step daughters and adopted daughters;
- (vi) father } including adopted parents in the
 } case of individuals whose personal
- (vii) mother } law permits adoption;
- (viii) brothers below the age of eighteen years including step brothers;
- (ix) unmarried sisters and widowed sisters including step sisters;
- (x) married daughters; and
- (xi) children of a pre-deceased son;

(c) "Non-regular employee" means a person who is not employed on regular establishment of the Board but is employed for work which is essentially of a purely temporary nature or is employed in connection with temporary increase in permanent work for a period not exceeding twelve months;

(d) "Qualifying service" means continuous service rendered in the Board after completion of 18 years of age including continuous service rendered prior to the commencement of these rules, that is, from the date of appointment in the Board except periods of service rendered as apprentice or trainee and extra-ordinary leave without leave salary and periods of suspension adjusted as a special penalty.

Note:— In the case of extraordinary leave, the Secretary or the Chairman may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to an employee —

- (i) on medical certificate, or
- (ii) due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion.

✓(e) "Superannuation" means the retirement of the Board's employee from service on reaching the age of fifty eight/sixty years.

3. Scope.—Gratuity shall be granted to the whole time regular employees of the Board, but shall exclude the following :—

- (i) Casual and non-regular employees.
- (ii) Government servants and other employed on deputation terms.
- (iii) Employees on contract terms.
- (iv) Apprentices and trainees.
- (v) Re-employed persons.
- (vi) Employees governed by the payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972);

Provided that such of the terms of payment of gratuity under these rules as are more beneficial than those under the payment of gratuity Act, 1972 (39 of 1972), shall be applicable to such employees.

4. Condition for the grant of gratuity.—Subject to the provisions mentioned in rule 3 gratuity shall be granted to the whole time employees

of the Board for good, efficient and faithful service and shall be admissible in the following circumstances :—

- (a) Discharge on abolition of post.
- (b) Permanent incapacity due to bodily or mental infirmity.
- (c) On the death of an employee while in service.
- (d) Superannuation.
- (e) Resignation (on or after the 1st February, 1980) in the case of Supervisory employee after rendering 5 year's qualifying service in the Board on the date of relief from the service of the Board.
- (f) (i) Gratuity will not be admissible, to an employee who resigns from service before completing 5 year's qualifying service or whose services are terminated for misconduct, insolvency or inefficiency.
- (ii) Except in the case of death, gratuity will be admissible only after five year's qualifying service.

5. Amount of gratuity.—(1) Gratuity will be equal to $\frac{1}{4}$ th of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of $16\frac{1}{2}$ times the emoluments—or Rs. ~~6,000~~ whichever is less.

(2) In the case of death, the amount of gratuity will be calculated as provided in sub-rule (1) or as mentioned below whichever is more :—

- | | |
|---|-----------------------|
| (i) During the first year of service | 2 months' emoluments |
| (ii) After one year but before 5 years service. | 6 months' emoluments |
| (iii) After completion of 5 years service. | 12 months' emoluments |

6. Nomination for Payment of gratuity —

(1) Every employee shall make a nomination in the form appended to these rules conferring on one or more persons of his family, the right to receive the gratuity in the event of his death while in service or after quitting service but before payment of the gratuity is made, indicating the shares payable to each member. In the case of an employee having no family, the nomination may be made in favour of a person or persons or a body of persons, corporate or incorporate. If after having made a nomination in favour of a person who is not a member of his/her family, the employee acquires a family, the nomination so made, will automatically lapse and

unless a fresh nomination is made, gratuity will be paid to the surviving members of the family in accordance with the provisions of these rules.

(2) In the event of there being no nomination, the gratuity, on death, may be paid in the manner indicated below :—

- (a) if there are one or more surviving members of the family as provided in sub-clauses (i) to (iv) of clause (b) of rule 2, it shall be paid to all such members, other than any such member who is a widowed daughter, in equal shares.
- (b) If there are no such surviving members of the family but there are one or more surviving widowed daughter, and or more surviving members of the family as mentioned in sub-clauses (v) to (ix) of clause (b) of rule 2, the gratuity shall be paid to all such members, in equal shares.
- (3) An employee may at any time, revoke or change the nomination made under sub-rule(1) and make a new one which shall be effective from the date it is filed with the Board.

7. Application for gratuity.— Application for the grant of gratuity shall be submitted in the prescribed form to the Chairman|Secretary of the Board.

8. General rules.— (1) The amount of gratuity that may be granted is determined by the length of service as set forth in rule 4. Fractions of a half year are not taken into account in the calculation of any gratuity admissible to an employee.

- (2) Any gratuity fixed in rupee shall be calculated to the nearest rupee.
- (3) An employee who is selected for discharge owing to the abolition of the post is entitled to gratuity under rule 4, if he does not accept any other post in the Board. If he accepts another appointment, even on a lower pay, his previous service will count for gratuity.

9. Periods of suspension.— (1) Time passed under suspension pending enquiry into the conduct counts if suspension is immediately followed by reinstatement but time passed under suspension adjusted as a specific penalty does not count. An employee shall not be penalised, if he is exonerated after a period of suspension.

- (2) If the employee under suspension is reinstated but has not been allowed to draw any part of allowances admissible

under suspension, the period of such suspension, shall not count for purpose of qualifying service without the specific orders from the authority, who reinstates the employee, which shall clarify this issue immediately after the reinstatement.

10. Removal and dismissals.— (1) An employee who is dismissed, removed or compulsorily retired but is reinstated on appeal or revision is entitled to the benefit of his past service for the purpose of gratuity.

(2) The period of break in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement and the period of suspension, if any, shall not count unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the orders of reinstatement.

11. Interruptions.— An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past service save in the following cases,—

- (1) Authorised leave of absence.
- (2) Unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of the absentee is not substantively filled, If his post is substantively filled, the past service is forfeited.
- (3) Suspension where it is immediately followed by reinstatement whether to the same or a different post or where the employee dies or is permitted to retire or is retired while under suspension.
- (4) Abolition of post or loss of appointment owing to reduction of establishment.

12. Retrospective commutation of absence.— The authority who sanctions the gratuity may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave with or without leave salary.

13. Condonation of interruption and deficiencies.— (1) Upon such conditions as he may think fit in each case to impose, the Chairman may condone all interruptions in an employee service.

(2) The Chairman may condone a deficiency not exceeding six months in an employee's qualifying service and the authority competent to sanction gratuity may condone such a deficiency not exceeding three months.

14. Board's right to recover dues, etc.— The Board shall have the right to effect recoveries from the gratuity of the whole or part of the Board's dues, if any. Any pecuniary loss caused to the Board as a result of any act or commission on the part of the employee shall also be recovered from the amount of gratuity payable to such an employee if the Board is satisfied that the employee has been guilty of grave misconduct or negligence during his service including service rendered or re-employment after retirement even though the employee could not be informed of it.

15. Employee's right not transferable.— The right of an employee eligible to any benefits payable or which may become payable to him under these rules cannot be assigned (otherwise than as provided in rule 6), pledged, hypothecated or alienated.

16. Gratuity subject to statutory deductions.— Payment of gratuity is subject to all statutory deductions.

[F. No. 7/10/83-Fin. II

R. VASUDEVAN, Jt. Secy

FORM—1

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

When the employee has a family and wishes to nominate one member or more than one member, thereof.

I, _____ hereby nominate the person/persons mentioned below who is/are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by the Oil Industry Development Board in the

event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:—

Original nominee(s)				Alternate nominee(s)	
Name and address of nominee/nominees	Relationship with the employee	Age	Amount of share of gratuity payable to each*	Name, address, relationship and age of person or persons if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass, in the event of the nominee predeceasing the employee or the nominee dying after the death of the employee but before receiving payment of gratuity	Amount of share of gratuity payable to each**
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on _____ which stands cancelled.

Note:—

(i) The employees shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

(ii) Strike out which is not applicable.

Dated this _____ day of _____ 198 _____ at _____

Witnesses to signature.

1.

2.

Signature of employee

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity.

**The amount/share of the gratuity shown in this column should cover whole amount/share payable to the original nominee (s)

(TO BE FILLED BY THE OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD, SECRETARIAT)

Nomination by _____ Signature of Secretary/Administrative Officer
 Designation _____ Date: _____
 Office _____ Designation _____

PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPT OF THE NOMINATION FORM BY THE OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD'S SECRETARIAT

To _____

Sir: In acknowledging the receipt of your nomination dated the _____/cancellation dated the _____ of the nomination made earlier in respect of gratuity in Form _____ I am to state that it has been duly placed on record.

Place _____
 Date _____

Signature of Secretary/Administrative Officer

Note: The Employee is advised that it would be in the interest of his nominees if copies of the nomination and the related notices and acknowledgements are kept in safe custody so that they may come into the possession of the beneficiaries in the event of his death.

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

When the employee has no family and wishes to nominate one person or more than one person

I, _____ having no family, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by the Oil Industry Development Board in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death.

Original nominee(s)				Alternate nominee(s)	
Name and address of nominee/nominees	Relationship with the employee	Age	Amount of share of gratuity payable to each*	Name, address, relationship and age of the person or persons, if any, to whom the right of gratuity conferred on the nominee, predeceasing the employee or the nominee dying after the death of the employee but before receiving payment of gratuity	Amount of share of gratuity payable to each*
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on _____ which stands cancelled.

Note:— (i) The employee should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he signed.

(ii) _____ out which is not applicable.

I _____ as _____ day of _____ 198 at _____

Witnesses to signature:

- 1.
- 2.

Signature of the employee

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity.

**The amount/share of the gratuity shown in this column should cover whole amount/share payable to the original nominee.

(TO BE FILLED BY THE OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD)

Nomination by _____ Signature of Secretary/Administrative Officer
 Designation _____ Date _____
 Office _____ Designation _____

PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPT TO THE NOMINATION FORM BY THE OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD'S SECRETARIAT

To _____

Sir,

In acknowledging the receipt of your nomination dated the _____/cancellation dated the _____ of the nomination made earlier in respect of gratuity in Form _____, I am to state that the same has been placed on record.

Place: _____
 Dated: _____

Signature of Secretary/Administrative Officer

Note—The employee is advised that it would be in the interest of his nominee if copies of the nominations and the related acknowledgements are kept in safe custody so that they come into the possession of the beneficiaries in the event of his death.

1
loye
reth
enti
pur

1
serv
past

1
the r